न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 145/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/335

अनवान

1. रामचन्द्र पुत्र नारू लौहार निवासी चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बक्शु पुत्र हीरा लौहार निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पुत्र हीरा लौहार निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सन्तोष पुत्री हीरा लौहार निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. डाली पुत्री हीरा लौहार निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गीता पुत्री धनराज जाट निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. काली पुत्री धनराज जाट निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बदाम पुत्री धनराज जाट निवासी चीड़खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. मुकेश चौधरी – अधिवक्ता 5 लगायत 7
3. विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–3/11/25

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष प्रताप थे जिनके तीन पुत्र हुए जो कमशः नारू, पन्ना, हीरा है। नारू का पुत्र रामचन्द्र प्रार्थी है। पन्ना ने अपने जीवन काल में दिनाक 10.11.1996 को वसीयत लिख दी जिससे पन्ना का वारीस रामचन्द्र हि रहा व हिरा के दो पुत्र रामेश्वर व बक्शु व दो पुत्रिया सन्तोष व डाली है जो विपक्षीगण है। ग्राम रेवाडा के बैरून हल्का आबादी में उक्त संयुक्त परिवार कि कर्ता खानदान प्रताप के नाम साबिक आराजी संख्या कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीघा 13 विस्वा स्थित भूमियां थी। प्रमाण में जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 प्रस्तुत की है।
2. प्रताप कि मृत्यु के पश्चात विरासत का नागान्तरण संख्या 503 दिनांक 17.02.1990 को हिरा पुत्र प्रताप व पन्ना पुत्र प्रताप के नाग पर फैसल कर दिया जो प्रथम दृष्टया हि गलत कानून के विपरित फैसल हुआ क्योंकि प्रताप के मृत्यु के समय उसके तीन पुत्र नारू पन्ना व हिरा मौजुद थे लेकिन नामानारण केवल गलत तरीके से हिरा व पन्ना के नाम हि फैसल

सहायक कलक्टर

कर दिया। दिनांक 20.03.2000 को पन्ना लाल एवं हिरा ने आराजी सख्या 434/3 रकबा 10 बिघा 7 बिस्वा का विक्रय पत्र धनराज पुत्र नारू को कर दिया जिसके विपक्षीगण सख्या 5. 6. 7 वर्तमान में वारिस है। इस बिकाव का 1/3 हिस्सा शुरू से ही शुन्य होने से सम्पूर्ण विकाव हि गैर कानूनी है। चूंकि इस आराजी संख्या 434/3 रकवा 10 बिघा 7 बिस्वा में 1/3 हिस्सा नारू पुत्र प्रताप का भी था।

3. दिनांक 24.07.2000 को अन्तकाल संख्या 768 से भूमि अवाप्त हुयी जिसके साबिक नम्बर कुल किता 9 कुल रकबा 5 बिघा 5 बिस्वा सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज हो गयी जिसका प्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। तहसील रायपुर का भू–प्रबंध हुआ जिसमें साबिक आराजीयात के नवीन नम्बर 220 रकबा 0.20 हैक्ट, 221 रकबा 0.30 हैक्ट, 226 रकबा 0.20 हैक्ट 227 रकबा 0.70 हैक्ट, 229 रकबा 0.20 हैक्ट, 230 रकबा 0.64 हेक्ट कुल किता 6 कुल रकबा 2.24 हैक्टयर वर्तमान में धनराज पुत्र नारू के नाम दर्ज है जिसमें उसका 2/5 हिस्सा अंकित है उसकी मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस गीता काली व बदाम है तथा बदामी पत्नी धनराज के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जबकि रामचन्द्र पुत्र नारू के 1/10 हिस्सा हि दर्ज रह गया जो गलत है।

4. प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित हैं। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा उन्हे नही रोका गया तो विपक्षीगण भूमियों को अन्यत्र खुर्द बुर्द कर रहन बय बक्षीस कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आकलन नकदी में नही किया जा सकेगा।

5. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से जारी फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 में अंकित आराजियात संख्या 219, 221, 226, 227, 228, 230 कुल किता 6 कुल रकबा 2.24 है0 में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करे व न ही किसी को अन्तरित करे व कोई नया निर्माण करके भूमि का भार नहीं बढ़ावे।

6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व दिनांक 23.01.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 5, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

7. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि मूल पुरूष प्रताप थे जिसके 3 पुत्र कमशः नारू, पन्ना, हीरा थे जिसमें से नामान्तरण दिनांक 17.02.1990 से नारू का नाम हटा दिया गया था। पन्ना का हिस्सा नारू के पुत्र रामचन्द्र को मिला। रामचन्द्र का 4/10 हिस्सा वदामी को विकय किया गया। वाद 1/10 हिस्से की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

8. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रताप के वारीस गलत है एक पुत्री चान्दी थी। पुत्री को पक्षकार नहीं बनाया गया। वर्ष 1996 में वसीयत हुई तो 30 वर्ष तक कोई अपील नही की गई। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 सदभावी केता है। रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि कय की गई। कब्जा प्रतिवादी 5 से 7 का है। विपक्षी इस से सरोकार नही है कि विकेता को विकय की जा रही आराजियात किससे प्राप्त हुई है। 1/4 हिस्सा प्रार्थी के रिश्तेदारो के पास है जिससे लिया जा सकता है। वसीयत की सिविल न्यायालय से घोषणा नही करवायी गयी। प्रार्थीना पत्र सीपीसी की धारा 35 के तहत् खारीज किया जावे। विकेता के द्वारा ही केता को पक्षकार बनाया जाकर नाजायज परेशान किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

9. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर प्रत्युतर बहस में निवेदन किया गया कि वसीयत के आधार पर वर्ष 2004 में नामान्तकरण खुल चुका है। विपक्षीगण ने अपना हिस्सा बेचा है।

10. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि विपक्षीगण को भूमि का विकय पंजीकृत विकय पत्र से किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मालिकाना हक विपक्षीगण संख्या 5 लगायत 7 का है। प्रार्थी द्वारा स्वयं पूर्व में ही आराजियात में हिस्से दर्ज होने की विसंगति की जैसा कि वादवत्र में वर्णित है कि सारी जानकारी होते हुए स्वेच्छा से विपक्षी संख्या 5 लगायत 7 को आराजी का कुछ हिस्सा बेचान किया है। विपक्षीगण संख्या 5 लगायत 7 सद्भाविक केता है। नामान्तरण संख्या 503 दिनांक 17.02.1990 को हिरा पुत्र प्रताप व पन्ना पुत्र प्रताप के नाम पर फैसल किया गया तब प्रार्थी के पिता नारू मौजुद थे जिसके नाम नामान्तरण नही किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को थी परन्तु प्रार्थी या उसके पिता नारू उस दौरान किसी का प्रकार वाद प्रस्तुत नही किया गया। दिनांक 20.03.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता हीरा द्वारा आराजी संख्या 434/3 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के पिता को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र किया। उक्त बेचान में हीरा ने अपने तत्कालीन हिस्से 1/2 मे से 4/5 हिस्से अर्थात कुल आराजियात के 4/10 यानि 40 प्रतिशत हिस्से बेचान किया था। इस 40 प्रतिशत बेचान के विरूद्व वादी के पिता नारू अथवा चाचा/ताउ पन्ना अथवा वादी स्वयं द्वारा वर्ष 2023 अर्थात 21 वर्षो तक कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। वर्ष 2004 में वसीयत नामें के आधार पर वादी द्वारा खातेदार पन्ना के फोत होने पर वादी द्वारा स्वयं के पक्ष में आराजियात के 1/2 हिस्से का नामान्तरण खुलवाया गया उस समय वादी को आराजियात के 2002 के बिकाव एवं अपने दर्ज हुए हिस्से की जानकारी होना अवश्यम्भाव्य है। दिनांक 13.07.2004 को वादी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र अपने 1/2 हिस्से मे से 4/5 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया गया तथा दिनांक 19.07.2004 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया। उक्त बेचान को को चुनौती वादी द्वारा 19 वर्षो तक कोई चुनौती नही दी गई। अतः लगभग 19

सहायक कलक्टर

वर्षो से प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 विक्रय द्वारा कब्जा प्राप्त कर अपनी क्रयशुदा भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे है ऐसे में सुविधा सन्तुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 सद्भाविक केता होकर क्रयशुदा भूमि पर वक्त क्रय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा भूमि में दखलदाजी करने, काश्त करने, उपजाउ बनाने से रोका जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 3/11/25 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/11/25
(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा